न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट शाहपुरा –जयपुर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी :– श्री अशोक कुमार, आर ए एस
वाद पत्र संख्या :– 24/2023

उनवान

1. हनुमान सहाय पुत्र श्री श्योनाथ, जाति जाट, निवासी खोरालाड़खानी, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज0)।

– वादी

बनाम

1. सुरजमल पुत्र श्योनाथ
2. रामसिंह पुत्र सुरजमल
3. गिरधारी पुत्र भगवाना
4. बंशीधर पुत्र भगवाना
5. सीताराम पुत्र भगवाना
6. प्रकाश पुत्र भगवाना
7. मोहन पुत्र भगवाना

समस्त जाति जाट, निवासी खोरालाड़खानी, तहसील–शाहपुरा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर (राज0)।

8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज0)।
9. उपपंजीयक उपपंजीयन कार्यालय–मनोहरपुर तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज0)।

– प्रतिवादीगण

10. प्रभात पुत्र श्योनाथ
11. जगदीश पुत्र श्योनाथ

समस्त जाति जाट, निवासी खोरालाडखानी, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

– तरतीबी प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी

उपस्थिति

1. श्री जगदीश प्रसाद जाट प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से
2. श्री रणवीर कपूरिया वकील अप्रार्थी/वादीगण की ओर से

आदेश दिनांक :– 14/02/24

उपर्युक्त उनवानी संस्थित वाद में प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश– 7 नियम –11 सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत जरिये अपने अधिवक्ता श्री जगदीश प्रसाद जाट के द्वारा दिनांक 20.04.2023 को इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वाद पत्र की मद संख्या 3 में अंकित खसरा नंबर 704 रकबा 0.18 है0, खसरा नंबर 705 रकबा 0.06 है0, 717 रकबा 0.20 है0, 724 रकबा 0.21 है0, 744 रकबा 0.42 है0, 745 रकबा 0.08 है0, 872 रकबा 0.06 है0, 876 रकबा 0.11 है0, 878 रकबा 0.13 है0 कुल किता 11 रकबा 1.32 है0 वाकै ग्राम खोरालाडखानी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0 में स्थित को अंकित किया गया है जो राजस्व रिकॉर्ड में श्योनाथ के नाम दर्ज होना अंकित किया गया। दिनांक 24.03.2023 तक वादी के पिता श्योनाथ के नाम होना बताया गया है जो तथ्य वादी हनुमान द्वारा अपने दावे की मद संख्या 03, 06 में गलत कथन अंकित कर उक्त झूठा वाद प्रस्तुत किया गया है। वास्तविक राजस्व रिकॉर्ड व जमाबंदी एवं नक्शे में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जो बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद संख्या 40/2019 उनवानी सुरजमल बनाम जगदीश व अन्य में मान्य न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)

शाहपुरा द्वारा वादी हनुमान एवं प्रतिवादी प्रभातीलाल, जगदीश के मध्य मान्य न्यायालय द्वारा सुनवाई करने के वाद दिनांक 02.12.2019 को प्राथमिक डिक्री जारी कि गई थी, जिसकी पालना में राजस्व मण्डल के निर्देशानुसार सरस नरस के आधार पर बंटवारा रिपोर्ट तैयार कर मय कुर्रेजात रिपोर्ट न्यायालय द्वारा मांगी गई थी उक्त प्राथमिकी डिक्री दिनांक 02.12.2019 की पालना में रिपोर्ट दिनांक 22.11.2021 को मान्य न्यायालय में रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसके बाद वादी हनुमान द्वारा अपने अधिवक्ता रणवीर कपूरिया के माध्यम से आपत्ति प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त आपत्ति पर बहस सुनने के बाद मान्य न्यायालय द्वारा मिट्स एण्ड बाउन्डस के द्वारा दिनांक 31.10.2022 निर्णय व डिक्री दिनांक 31.10.2022 जारी कि गई, जिसकी पालना में वाद प्रस्तुत होने की दिनांक से पांच माह पूर्व ही राजस्व रिकॉर्ड में बंटवारा हो चुका है। लेकिन वादी व वादी के अधिवक्ता ने मान्य न्यायालय से सही तथ्य छुपाकर उक्त वाद प्रस्तुत किया गया है जो विधी द्वारा वर्णित है इसलिये आदेश 7 नियम 11 (क) (घ) के अनुसार वाद खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

वादी को पूर्व वाद सं0 40/2019 उनवानी सुरजमल बनाम जगदीश की जानकारी रही है मान्य न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता रहा है फिर भी वर्तमान जमाबंदी को स्थिति को छुपाकर पूर्व संवत 2061 से 2064 तक जमाबंदी लगाकर वाद प्रस्तुत किया गया है जो मान्य न्यायालय में मिस कन्डक्ट की परिभाषा में आता है इसलिये मान्य न्यायालय उक्त कृत्य के लिये वादी हनुमान के खिलाफ कानूनी कार्यवाही पृथक से अमल लाई जाने के आदेश प्रदान करे। प्रतिवादी संख्या 1 ने वाद पत्र के मद संख्या 1 व 2 में जो खसरा नंबर अंकित किये है वह सन् 1982 में प्रतिवादी द्वारा स्वयं की आय से क्रय कर कब्जा काश्त करता चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 अपनी स्वयं की भूमि अर्थात् क्रयशुदा भूमि पर काबिज काश्त करता चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने पैतृक सम्पति श्योनाथ का बंटवारा का वाद मान्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें वादी की बाद तामिल मय वकील उपस्थिति मान्य न्यायालय के समक्ष आये जिसके बाद मान्य न्यायालय द्वारा प्रतिवादी सं0 1 द्वारा तकासमे के दावे में प्राथमिक डिक्री दिनांक 02.12.2019 को जारी की गई जिसके बाद तहसीलदार महोदय द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 31.10.2022 को बंटवारे की अंतिम डिक्री पारित की गई जिसके आधार पर राजस्व रिकॉर्ड व राजस्व नक्शे में तरमिम हो जाने के पश्चात् प्रतिवादी संख्या 1 को परेशान करने की नियत से झूठे व काल्पनिक आधार बनाकर उक्त वादी मान्य न्यायालय के समक्ष घोषणा व बंटवारे का प्रस्तुत किया है जो समयावधि अर्थात् लिमिटेशन एक्टके अनुसार बाहर मियाद होने के कारण उक्त वाद खारिज किये जाने योग्य है।

वादी ने अपने वाद पत्र के साथ संलग्न जमाबंदी संवत 2069–2072 दिनांक 22.03.2023 को प्राप्त कर प्रस्तुत की गई। दिनांक 22.03.2023 को संवत 2074–2077 की जमाबंदी की नकल वाद के साथ प्रस्तुत की जानी थी लेकिन वादी ने न्यायालय को मुगालते में रखते हुये अर्थात् पुरानी जमाबंदी प्रस्तुत कर एकपक्षीय आदेश पारित करवाने की नियत से उक्त गलत जमाबंदी व दस्तावेज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये है जो एक छल की परिभाषा में आता है। वादी को अच्छी तरह से ज्ञात था कि श्योनाथ की पैतृक सम्पति का बंटवारा मान्य न्यायालय द्वारा दिनांक 31.10.2022 को अंतिम डिक्री पारित की जा चुकी है। उक्त डिक्री की अपील वादी द्वारा प्रस्तुत नही की गई बल्कि मान्य न्यायालय को मुगालते में रखकर उक्त डिक्री के विरूद्ध आदेश प्राप्त करने की नियत से उक्त वाद व अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त किया गया है जो विधि विरूद्ध है।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)

इसलिये भी उक्त वाद आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 के अनुसार खारिज किये जाने योग्य है।

वकील अप्रार्थी/वादी के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का जवाब पेश कर जाहिर किया कि आ0ख0नं0 704/0.18, 705/0.06, 717/0.20, 724/0.21, 744/0.42, 745/0.8, 872/0.06, 876/0.11, 878/0.13 है0 वाकै ग्राम खोरालाड़खानी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित होने का अंकन स्वीकार है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र में गलत तथ्यों का अंकन किया गय है, और जानबूझकर बदनियतिपूर्वक आशय से आधे अधूरे तथ्यों का अंकन किया गया है, वादी द्वारा अपने वाद पत्र में जिन खसरा नंबरान् का अंकन किया गया है, उनको प्रार्थी/प्रतिवादी ने तोड़मरोड़कर कांट छांट कर उक्त प्रार्थना–पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। प्रार्थना–पत्र में वर्णित आ0ख0नं0 के संबंध में वादी द्वारा अपने वाद पत्र में कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है, और ना ही उक्त वर्णित खसरा नंबरान् के संबंध में वादी द्वारा कोई वाद न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र आराजी खसरा नंबर 1500/0.11, 716/0.10, 718/0.13, 743/0.03, 746/0.04, 747/0.17, 752/0.16, 867/0.03, 875/0.17 व आ0ख0नं0 662/1.25 है0 के संबंध में प्रस्तुत किया गया है, जिनके संबंध में न्यायालय श्रीमान् के समक्ष पूर्व में कोई वाद विचाराधीन नही रहा है।

प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र प्रकरण को देरीना करने के आशय से मनगढ़न्त व बनावटी तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र जिस वाद का अंकन किया गया है, वह प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य, हाल आराजी खसरा नंबर 705, 717, 744, 704, 724, 745, 769, 871, 872, 876, 878 कुल किता 11 कुल रकबा 1.32 है0 वाकै ग्राम खोरालाड़खानी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर के संबंध में उनवानी वाद सुरजमल बनाम जगदीश वगै0, मु0नं0 40/2019 न्यायालय श्रीमान् के समक्ष विचाराधीन रहा है, जिसका न्यायालय श्रीमान् द्वारा दिनांक 31.10.2022 को निर्णय किया जा चुका है, अप्रार्थी द्वारा उक्त निर्णय दिनांक 31.10.2022 के विरूद्ध राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत कर दी गई है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर उक्त प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है जो कि मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी द्वारा जिस वाद का अंकन किया गया है, वह उनवानी वाद में विवादित आराजी के संबंध में नहीं होकर दीगर आराजी के संबंध में विचाराधीन रहा है, जिसका निर्णय न्यायालय श्रीमान् द्वारा पूर्व में किया जा चुका है। इस प्रकार प्रार्थी प्रकरण में अनावश्यक लाभ लेने के उद्देश्य से उक्त प्रार्थना–पत्र न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जो कि मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने योग्य है।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी । वकील प्रार्थी/प्रतिवादीगण ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को जाहिर करते हुए तथा मौखिक बहस में कथन किया कि उक्त विवादित आराजी से संबंधित विक्रय पत्र रद्द नहीं हो जाता तब तक प्रतिवादी संख्या 1 उक्त भूमि का रिकॉर्ड खातेदार है। वादी बंटवारा/तकास्मा का वाद लेकर आया है जो विधी विरूद्ध है, सह खातेदार ही बंटवारा का वाद पेश कर सकता है। प्रार्थी/प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 2021 (1) आर.आ.टी. पेज 500 पेश कर निवेदन किया कि उक्त पारित निर्णय में प्रतिपादित किया गया है कि " वाद खारिज किया गया जब तक कि विक्रय पत्र रदद न हो, अप्रार्थीगण भूमि के रिकॉर्ड खातेदार है, निर्णय–वाद खारिज होने योग्य है" एवं कानूनी नजीर 2019 (1) आर.आर.टी. पेज 268 पेश कर निवेदन किया कि " प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)

11 में वाद खारिज किया गया, वादी खातेदार काश्तकार नहीं है, इसलिए वाद विधी द्वारा वर्जित है"। उक्त वाद में वादी हनुमान खातेदार नहीं है इसलिए उक्त वाद विधी विरूद्ध होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। साथ ही कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं द्वारा क्रयशुदा भूमि पर विक्रय पत्र 14.12.1982 रजिस्टर होने से ही कब्जा काश्त करते हुए चला आ रहा है एवं वादी द्वारा उक्त वाद में कब्जा बताकर घोषणा एवं बंटवारा का वाद पेश किया गया है, जबकि कानूनी नजीर 2018(2)आर.आर.टी. पेज 1417 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि "वादी केवल मात्र कब्जे को आधार बनाकर वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता है तथा कब्जे के आधार पर किसी भी व्यक्ति को मालिकाना हक देकर सम्पति का मालिक नहीं बनाया जा सकता हैं"। इसलिए उक्त वाद विधी विरूद्ध होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है, तथा अपने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद में तथ्य छुपाकर एवं काल्पनिक आधार पर न्यायालय की प्रक्रिया का दुरूपयोग करके वाद दायर किया गया है, जो कि तथ्य छुपाकर वाद प्रस्तुत करने पर माननीय न्यायालय द्वारा अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाद खारिज किया जा सकता है, इसलिए वादी का वाद विधी वर्जित होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

वकील अप्रार्थी/वादीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को जाहिर करते हुए जाहिर किया प्रकरण भिन्न होने से प्रार्थी/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया , तथा विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । जहॉ तक आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के अन्तर्गत वादपत्र निम्नलिखित दशाओं में नामन्जूर किये जाने का प्रावधान है:–

क). जहॉ वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है। (ख). जहॉ दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया।

(ग). जहॉ दावाकृत अनुतोष ठीक है परन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है।

(घ). जहॉ वादपत्र किसी विधि से वर्जित है। (ङ). जहॉ यह 02 प्रतियों में फाईल नहीं किया है।

(च). जहॉ वादी नियम 9 के उपबंधो की अनुपालना करने में असफल रहता है।

विवादित प्रकरण में हमारे सम्मुख मूल रूप से बिन्दु ((घ) विचारणीय है। आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में यह स्पष्ट प्रावधान है कि वाद पत्र को पढने मात्र से ही यह परिलक्षित होना चाहिए कि वाद किस विधि से वर्जित है। अथवा कोई वाद हेतुक प्रकट नहीं किया गया । हस्तगत प्रकरण में वकील प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पर उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई, बहस पर मनन किया गया एवं वकील प्रार्थी /प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टातों का अवलोकन किया गया। वकील प्रतिवादी द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में इंगित किया कि खसरा नंबर 704 रकबा 0.18 है0, खसरा नंबर 705 रकबा 0.06 है0, 717 रकबा 0.20 है0, 724 रकबा 0.21 है0, 744 रकबा 0.42 है0, 745 रकबा 0.08 है0, 872 रकबा 0.06 है0, 876 रकबा 0.11 है0, 878 रकबा 0.13 है0 कुल किता 11 रकबा 1.32 है0 वाकै ग्राम खोरालाडखानी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0 का न्यायालय द्वारा मिटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर दिनाक 31.10.2022 को निर्णय पारित किया गया था, जिसमे वादी हनुमान द्वारा अपने अधिवक्ता के जरिये आपत्ति प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया था। वकील वादी/अप्रार्थी ने भी उक्त

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)

तथ्य को स्वीकारते हुए जाहिर किया कि उक्त निर्णय दिनांक 31.10.2022 के विरूद्ध माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधीकारी, जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है। इससे जाहिर होता है कि वादी को उक्त प्रकरण की प्रारम्भ से ही जानकारी रही है तथा वकील प्रार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र के समर्थन में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पेश किया जिससे साबित होता है प्रश्नगत आराजी अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा क्रय की गई भूमि है। वकील वादी/अप्रार्थी द्वारा तथ्यों को छुपाते हुए दावा पेश किया है, जो कि राजस्व न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना विधि द्वारा वर्जित है। वकील प्रार्थी/प्रतिवादीगण के द्वारा पेश न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण में चस्पा होते है। अतः वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित होने के कारण खारीज किया जाता है। इस प्रकार वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वाद चलने योग्य नहीं है अपितु विधि से वर्जित होने के कारण खारिज किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 सीपीसी को स्वीकार कर अप्रार्थी/वादीगण का हस्तगत वादपत्र विधि से वर्जित होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। हर्जा ,खर्चा पक्षकार अपना अपना वहन करें।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 14/02/24 को सरै इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी (जयपुर) राजस्थान

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)
जिला जयपुर ग्रामीण

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट शाहपुरा –जयपुर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी :– श्री अशोक कुमार, आर ए एस
वाद पत्र संख्या :– 24/2023

उनवान

1. हनुमान सहाय पुत्र श्री श्योनाथ, जाति जाट, निवासी खोरालाड़खानी, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज0)।

बनाम

1. सुरजमल पुत्र श्योनाथ
2. रामसिंह पुत्र सुरजमल
3. गिरधारी पुत्र भगवाना
4. बंशीधर पुत्र भगवाना
5. सीताराम पुत्र भगवाना
6. प्रकाश पुत्र भगवाना
7. मोहन पुत्र भगवाना

   समस्त जाति जाट, निवासी खोरालाड़खानी, तहसील–शाहपुरा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर (राज0)।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज0)।
9. उपपंजीयक उपपंजीयन कार्यालय–मनोहरपुर तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज0)।

– प्रतिवादीगण

10. प्रभात पुत्र श्योनाथ
11. जगदीश पुत्र श्योनाथ

    समस्त जाति जाट, निवासी खोरालाडखानी, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

– तरतीबी प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी

उपस्थिति

1. श्री जगदीश प्रसाद जाट प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से
2. श्री रणवीर कपूरिया वकील अप्रार्थी/वादीगण की ओर से

आदेश दिनांक :– 14/02/24

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 सीपीसी को स्वीकार कर अप्रार्थी/वादीगण का हस्तगत वादपत्र विधि से वर्जित होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। हर्जा ,खर्चा पक्षकार अपना अपना वहन करें।

आज तारीख 14/02/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

(अशोक कुमार)
उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा
शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)
जिला जयपुर ग्रामीण

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिलपुरा राजस्थान

वाद के खर्च

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. ..... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	